

छन्नपति शाह जी हाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

आज दिनांक ०७ जुलाई, २००८ को अपार्टमेंट १२८५ वेले कार्यपालिका की बहुत महत्वपूर्ण एकेडमिक्स में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्बान्धित सदस्यों ने भाग लिया-

संक्षिप्त

- प्रो० इल०स्ती० मिश्रा
 - श्री कुलदीप सिंह
 - डा० गोपाल कृष्ण अग्रवाल
 - डा० यू०एन० शुक्ला
 - डा० (श्रीमती) नीरा इस्मेत
 - प्रो० संजय कुमार श्रीवास्तव
 - डॉ०(श्रीमती) आशारानी राय
 - डा० साहब लाल शुक्ला
 - डा०(श्रीमती) एस०जी० सरोज
 - डा०(श्रीमती) शिखा मिश्रा
 - डा० संजय कुमार स्वर्णकार
 - डा० आर०स्ती० सरकोना
 - डा०(श्रीमती) सरोजनी पाण्डेय
 - श्री महेश चन्द्र

कार्यविवरण

सर्वप्रथम कुलपति जी ने उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया। शार्धगिरि के पास
ने भी कुलपति जी का स्वागत किया एवं उनके कुलपति बद पर लिपुक को देखा। इसके द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की एवं अपने विशिष्ट शार्धगिरि परिवार की विदा
देखाई दी।

- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2008 एवं आपात बैठक दिनांक 26.06.2006 की सम्बन्ध
विचार।
 - कार्य परिषद ने अपनी विगत बैठक दिनांक 16.03.2008 एवं नगर इक दिनांक 26.06.2006
गये निर्णयों के कियाचयन से अवगत होते हुये नई समझि से जुड़ा विचार की समझि करें।
 - श्री बलदेव राज की विधि की उपाधि वापस लेने को सम्बन्ध वाले कानूनिक और शास्त्रीय
दिनांक 28.12.2005 पर विचार।
 - लार्यपरिषद पट्ट पर प्रस्तुत दार कीनिक झेंज इरिडियन एवं दो रामसा सम्बन्ध
जाँचोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा सर्वज्ञाभिति से दी गयी विवाद वाली विधि की समझि करें।

2.....

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय निर्माण हेतु विश्वविद्यालय परिसर में भूमि देने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 801 ए / सत्र-5-08 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 पर विचार ।
 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय निर्माण हेतु विश्वविद्यालय परिसर में भूमि देने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 801 ए / सत्र-5-08 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 पर विश्वविद्यालय परिसर में भूमि द्वारा विचारोपात्त शासन के पत्र के अनुपालन में सहमति घोषित करते हुये विश्वविद्यालय परिसर में भूमि आवंटन करने के स्थान निर्धारण हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया ।
4. लेखा संवर्ग के गठन करने के सम्बन्ध में विधिकारी के पत्र दिनांक 30.06.2008 पर विचार ।
 कार्यपरिषद द्वारा लेखा संवर्ग के गठन के सम्बन्धी प्रकरण की विधारीपरात्त लेखा संवर्ग सेवा नियमावली के अभाव में अगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु रथेगित किया गया ।
5. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27.06.2008 पर की गयी संस्तुतियों पर विचार ।
 कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत विद्या परिषद की बैठक दिनांक 27.06.2008 पर की गयी संस्तुतियों सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
6. विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इन्स्टीट्यूट आफ फार्मसी में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 में की गयी संस्तुतियों पर विचार ।
 विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इन्स्टीट्यूट आफ फार्मसी में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 में की गयी संस्तुति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।
 (क) इन्स्टीट्यूट आफ फार्मसी में प्रोफेसर :
 डा० अशोक कुमार शाक्य
 (ख) इन्स्टीट्यूट आफ फार्मसी में रीडर
 पात्र अस्तार्थी अनुपलक्ष्य
- (ग) इन्स्टीट्यूट आफ फार्मसी में प्रवक्ता :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) कु० सीमा पुष्कर | - अनुसूचित जारी |
| 2) कु० अंजू सिंह | - अनुसूचित जारी |
| 3) श्री विनोद दोहरा | - अनुसूचित जारी |
| 4) श्री सुरेन्द्र कुमार | - अन्य विचार वर्तमान |
| 5) कु० श्रुति टण्डन | - सामाजिक |
- प्रतीक्षा सूची
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) श्री महेश वर्मा | - अन्य विचार वर्तमान |
| 2) कु० प्रतिमा कटियार | - अन्य विचार वर्तमान |
| 3) प्रकाश चन्द्र गुप्ता | - सामाजिक |
7. क्य समिति के पुर्णगठन के सम्बन्ध में वित्ताधिकारी के पत्र दिनांक 30.06.08 पर विचार ।
 कार्यपरिषद द्वारा क्य समिति के पुर्णगठन के विवरण का विवरण दिया गया ।
 ली बैठक में अनुग्रहार्थ प्रस्तुत करने का निष्पत्ति किया गया ।

- 3.....
8. कर्मचारी कल्याण कोष (E.W.F.) सम्बन्धी प्रकरण पर विचार ।
कार्यपरिषद द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष के सम्बन्धी प्रत्यरोग का शिक्षानीक तथा संवाद करते हुये इसकी विस्तृत नियमावली बनाकर कार्यपरिषद की बैठक में पुनः रखने का नियम लिया ।
9. डा० सी०पी०सिंह की निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर कार्यकाल विस्तारण पर विचार ।
डा० सी०पी०सिंह की निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर कार्यकाल विस्तारण दिनांक 18.06.2008 से अगामी तीन वर्षों के लिये किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर लाईपरेष्यट द्वारा सर्वसमति से माननीय कुलपति जी द्वारा पारित आदेश से सहमत होते हुये अनुमोदन लगने का नियम लिया गया ।
10. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आवश्यकता एवं महत्व के अनुसार ।
विश्वविद्यालय के अभियन्त्रण विभाग में कार्यरत बिजली भिस्का का पद बतृथं श्रेणी के उपलब्ध है जबकि बिजली मिस्ट्री का वेतनमान 3050-4950 है जो कि तृतीय श्रेणी हेतु अनुमोदित है तथा साथ ही बिजली मिस्ट्री पद पर डा० राम भनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद विश्वविद्यालय लखनऊ तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झौसी में बिजली मिस्ट्री का पट तृतीय श्रेणी को तृतीय श्रेणी के पद के रूप में माना जाय ।

H.C. 2008
(प्रो. एल. सी. मिश्र)
अध्यक्ष/कुलपति

28/7/08
(गहेश चन्द्र
मुख्यमन्त्री)